न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 27/2024 – निगरानी

1. रामकरण गुर्जर पिता निम्बा गुजर निवासी अमरपुरा तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा
2. दयाल गुर्जर पिता निम्बा गुर्जर निवासी अमरपुरा तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा

–निगराकार

बनाम

1. फुरतीराम पिता हरदेव जाट निवासी जवानपुरा तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा
2. हस्तीमल जाट पिता रामकरण जाट निवासी जवानपुरा तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा
3. पुखराज जाट पिता रामकरण जाट निवासी जवानपुरा तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा
4. गिददु मल जाट पिता फुरतीराम जाट निवासी जवानपुरा तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा
5. ग्राम पंचायत टोकरवाड़, जरिए सचिव/सरपंच ग्राम पंचायत टोकरवाड तहसील हुरडा जिला भीलवाडा
6. ग्राम पंचायत जालखेड़ा, जरिए सचिव/सरपंच ग्राम पंचायत जाल खेडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा

– गैर निगराकार

निगरानी अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध ग्राम पंचायत टोकरवाड़ पं०स० हुरड़ा द्वारा जारी बापी पट्टा कंमाक संख्या 42/90 दिनांक 05.10.1990 के निरस्तीकरण बाबत्

उपस्थित –

1. श्री कौशल कुमार जैन अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. श्री दिनेश तिवाड़ी अधिवक्ता – गैर निगराकार संख्या 5 व 6 की ओर से

निर्णय

दिनांक 24.10.2025

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम विरूद्व गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि निगराकार ग्राम अमरपुरा के निवासी होकर उक्त पट्टे में उल्लेखित जायदाद पर विगत काफी लम्बे काफी अरसे से काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। गैर निगराकार 1 लगायत 5 द्वारा ग्राम अमरपुरा के हल्का आबादी भूमि को हथियाने की

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

गरज से उक्त पट्टा संख्या 42/90 दिनांक 05.10.1990 फर्जी व कूटरचित बनाया गया। गैर निगरा०-5 ने गैर निगराकार 1 व मृतक रामकरण जाट पिता हरदेव जाट के पक्ष में आबादी भूमि का बापी पट्टा पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत जाकर 05.10.1990 को अवैध पट्टा बनाया गया है। गैर निगराकार 6 ग्रा०प० जालखेड़ा की स्थापना से हल्का आबादी अमरपुरा (भड़ाणो का खेड़ा) राजस्व ग्राम जालखेड़ा, ग्रा0प जालखेड़ा के क्षेत्राधिकार में आता है। निगराकार ग्रा0प के अस्तित्व में आने के पश्चात् पंचायत द्वारा अपने अधीनस्थ राजस्व ग्रामों में आबादी भूमि का निरीक्षण कर सीमाज्ञान कराया तो जानकारी में आया की जालखेड़ा पंचायत के अधीन ग्राम अमरपुरा (भड़ाणों का खेड़ा) की राजस्व ग्राम की आबादी भूमि आराजी संख्या 263 के कुछ हिस्से पर कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध अतिक्रमण कर कृषि प्रयोजनार्थ जमीन का उपयोग कर रहे है। उक्त सीमाज्ञान के दौरान मौके पर ग्राम भड़ानों का खेडा अमरपुरा में आबादी भूमि पर कब्जा करने पर आमादा लोगो से अपने स्वामित्व के संबंध में दस्तावेजों की मांग की तो गैर निगराकार 1 से 4 द्वारा एक पट्टे की प्रति प्रस्तुत की जिसका सत्यापन ग्रा०प टोकरवाड से करवाने पर वहां से जानकारी बताई गयी, उक्त पट्टों के संबंध में किसी प्रकार का कोई रेकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। गैर निगराकार संख्या 1 फुरतीराम पिता हरदेव व रामकरण जाट जिसकी वर्तमान में मृत्यु हो चुकी है जिसके वारिसान गैर निगराकार संख्या 2 व 3 द्वारा एक पट्टा क्र० 42 ग्राम पंचायत टोकरवाड़ का दिनांक 05.10.1990 का जारी किया गया जिसकी फोटो प्रति एवं एक बेचाननामा दिनांक 01.10.2009 व गैर निगराकार संख्या 4 के पक्ष में बेचाननामा दिनांक 05.10.2009 की प्रति प्रस्तुत की। जिसमें उक्त पट्टा 17 व 35 बाई 348 फिट यानि कुल 7308 वर्गफीट का होना बताया जबकि उक्त कुल 9048 वर्गफीट होते है। जिस पर गैर निगराकार-6 द्वारा कार्यालय ग्रा0प0 टोकरवाड़ को उक्त पट्टे के संदर्भ में पंचायत का रेकॉर्ड व मिसल चाही जिसके जवाब में ग्रा0प0 टोकरवाड द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांक 2024/25/08 दिनांक 20.06.2024 यह जवाब दिया कि उक्त पटटा रेकार्ड के संबंध में ग्राम पंचायत के पास रेकार्ड उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार उक्त पट्टे की मिसल उपलब्ध करवाना संभव नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि गैर निगराकार संख्या 1 द्वारा तत्कालीन सरपंच/सचिव से मिलीभगत कर अवैध फर्जी आवासीय पट्टा बनाया गया है जबकि आज दिनांक को भी उक्त पट्टा स्थल की आराजी में आवासीय प्रयोजन नहीं है

24.10
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

एवं अतिक्रमण करने पर आमादा है तथा मौके पर किसी प्रकार का मकान/बाउण्ड्रीवाल निर्माण इत्यादि नहीं है। बल्कि निगराकार विगत लम्बे अरसे से उक्त जायदाद पर काबिज होकर उपयोग उपभोग लिया जा रहा है तथा उक्त कूटरचित पट्टे के आधार पर गैर निगराकार 1 से लगायत 4 द्वारा उक्त जायदाद पर हथियाने की कोशिश का जा रही है। इस प्रकार गैर निगराकार संख्या 1 से 4 का उक्त जायदाद पर कभी आवासीय उपयोग उपभोग नहीं रहा है और कूटरचना कर फर्जी कूटरचित पट्टा बनाया गया है जो निरस्तनीय है। गैर निगराकार 1 द्वारा कूटरचित उक्त पट्टे के अनुसार अपने पुत्र गैर निगराकार 4 व मृतक रामकरण द्वारा अपने पुत्र गैर निगराकार 2 से 3 के पक्ष में उक्त कूटरचित पट्टे के आधार पर बेचाननामा बनाया गया है। इस प्रकार उक्त पट्टा फर्जी व कूटरचित होने से उक्त बेचाननामा प्रारम्भतः शून्य है। गैर निगराकार–1 के उक्त तथाकथित पट्टे में जो पडौसान अंकित किए है वह भी मौके अनुसार गलत है। उक्त पट्टे में अंकित पडौसान के अनुसार पूर्व दिशा में रामकरण का खेत अंकित किया है जबकि मौके पर पूर्व दिशा में आबादी भूमि स्थित है तथा पश्चिम में रास्ता नहीं होकर आबादी भूमि है और दक्षिण दिशा में रामकरण व फुरतीराम का खेत नहीं होकर आबादी भूमि है। इस प्रकार उक्त पट्टे में उल्लेखित पडौसान से मौके पर पडौसान अलग है। गैर निगराकार 1 व 4 द्वारा बनाया गया उक्त कूटरचित बापी पट्टा 17 व 35 बाई 348 फिट यानि कुल 7,308 बनाया है जबकि उक्त भूमि का कुल 9048 वर्गफीट एरिया बनता है जो कूटरचना में गलत अंकित किया है।पंचायतराज अधिनियम के तहत पंचायत 300 वर्गगज से अधिक का पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार उक्त पट्टा का क्षेत्रफल अधिक होने से एवं फर्जी एवं बनावटी होने से निरस्त होने योग्य है। ग्राम पंचायत टोकरवाड के तथाकथित सरपंच/सचिव द्वारा अपने पद से हटने पश्चात् ओर ग्राम0प0 जाल खेडा के गठन से पूर्व आपराधिक योजनाबद्ध तरीके से लोगो के पक्ष में उनके मिलीभगत कर फर्जी पट्टे बनाकर दे दिए क्योंकि उक्त दोनों पट्टों में एक ही पट्टा क्रमांक 4290 अंकित है व मिसल पत्रावली क्रमांक भी 42 दिनांक 01.07.1990 अंकित है जिससे स्पष्ट है कि उक्त दोनो पट्टे फर्जी मिथ्या व कूटरचित है। गैर निगराकार संख्या 1 से 5 ने राजस्थान पंचायतराज अधिनियम की धारा 148 से 158 तक के प्रावधानों की पालना नहीं की है। गैर निगराकार संख्या 1 से 5 द्वारा राज० पंचायतराज अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक

24.10
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

उद्घोषणा जारी नहीं की है एवं न ही मौके पर जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की है तथा उक्त जायदाद पर निगराकार का विगत काफी अरसे से कब्जा है तथा गैर निगराकार संख्या 1 से 4 का कभी भी कब्जा नहीं रहा है एवं गैर निगराकार संख्या 1 से 4 के कब्जा होने के संबंध में कोई भी मौका रिपोर्ट तैयार नहीं की गयी है। गैर निगरकार 2 हस्तीमल जाट द्वारा उक्त फर्जी एवं कूटरचित पट्टे के आधार पर रामकरण गुर्जर व अन्य के विरूद्ध एक वाद श्रीमान सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड गुलाबपुरा के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें तत्कालीन सरपंच विक्रम सिंह से मिलीभगत कर उक्त फर्जी पट्टे के आधार पर दावा किया था। अभी हाल ही में नवसृजित ग्रा०प जाल खेड़ा के द्वारा अमरपुरा में आबादी भूमि के सीमाज्ञान कराने के दौरान गैर निगराकार संख्या 1 एवं उसके पुत्र गैर निगराकार संख्या 4 गिद्दू मल द्वारा ग्राम अमरपुरा का ही एक बापी पट्टा मौके पर प्रस्तुत किया जिसमें उपरोक्त बापी पट्टे अनुसार एक क्रम संख्या 42 वर्ष 90 व पत्रावली क्रमांक 42 दिनांक 01/07/90 व पट्टा जारी दिनांक 05/10/90 का प्रस्तुत किया जिससे स्पष्ट है कि तत्कालीन सरपंच व सचिव द्वारा गैर निगराकार 1 से 4 व मृतक रामकरण से मिलीभगत कर कूटरचित पट्टा तैयार किया गया और उक्त पट्टे के आधार पर न्यायालय में गलत दावा प्रस्तुत किया। प्रार्थना है कि निगराकार की निगरानी याचिका स्वीकार फरमायी जाकर ग्राम पंचायत टोकरवाड़ पं०स हुरड़ा जिला भीलवाडा के नाम से अंकित गैर निगराकार संख्या 1 से लगायत 4 द्वारा कूटरचित फर्जी पट्टा क्रम संख्या 42/90 को खारिज फरमाया जावे।

प्रस्तुत निगरानी पंजीबद्व की जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी संख्या 01 से लगायत 04 बावजूद सूचना के अनुपस्थित। विपक्षी संख्या 01 से लगायत 04 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही की जाती है। प्रकरण में निगराकार एंव गैर निगराकार संख्या 05 व 06 के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी।

निगराकार ने अपनी बहस में निगरानी मेमों में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि गैर निगरा०-5 ने गैर निगराकार 1 व मृतक रामकरण जाट पिता हरदेव जाट के पक्ष में आबादी भूमि का बापी पट्टा पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत जाकर 05.10.1990 को अवैध पट्टा बनाया गया है। सीमाज्ञान के दौरान मौके पर ग्राम भड़ानों का खेडा अमरपुरा में आबादी भूमि पर कब्जा करने पर आमादा लोगो से अपने स्वामित्व के संबंध में दस्तावेजों की मांग की तो गैर निगराकार

24.10
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

1 से 4 द्वारा एक पट्टे की प्रति प्रस्तुत की जिसका सत्यापन ग्रा०प टोकरवाड से करवाने पर वहां से जानकारी बताई गयी, उक्त पट्टों के संबंध में किसी प्रकार का कोई रेकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। आज दिनांक को भी उक्त पट्टा स्थल की आराजी में आवासीय प्रयोजन नहीं है एवं अतिक्रमण करने पर आमादा है तथा मौके पर किसी प्रकार का मकान/बाउण्ड्रीवाल निर्माण इत्यादि नहीं है। गैर निगराकार 1 व 4 द्वारा बनाया गया उक्त कूटरचित बापी पट्टा 17 व 35 बाई 348 फिट यानि कुल 7,308 बनाया है जबकि उक्त भूमि का कुल 9048 वर्गफीट एरिया बनता है जो कूटरचना में गलत अंकित किया है।पंचायतराज अधिनियम के तहत पंचायत 300 वर्गगज से अधिक का पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार उक्त पट्टा का क्षेत्रफल अधिक होने से एवं फर्जी एवं बनावटी होने से निरस्त होने योग्य है। गैर निगराकार संख्या 1 से 5 ने राजस्थान पंचायतराज अधिनियम की धारा 148 से 158 तक के प्रावधानों की पालना नहीं की है। गैर निगराकार संख्या 1 से 5 द्वारा राज० पंचायतराज अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक उद्घोषणा जारी नहीं की है एवं न ही मौके पर जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की है तथा उक्त जायदाद पर निगराकार का विगत काफी अरसे से कब्जा है तथा गैर निगराकार संख्या 1 से 4 का कभी भी कब्जा नहीं रहा है एवं गैर निगराकार संख्या 1 से 4 के कब्जा होने के संबंध में कोई भी मौका रिपोर्ट तैयार नहीं की गयी है। गैर निगरकार 2 हस्तीमल जाट द्वारा उक्त फर्जी एवं कूटरचित पट्टे के आधार पर रामकरण गुर्जर व अन्य के विरूद्ध एक वाद श्रीमान सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड गुलाबपुरा के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें तत्कालीन सरपंच विक्रम सिंह से मिलीभगत कर उक्त फर्जी पट्टे के आधार पर दावा किया था। प्रार्थना है कि निगराकार की निगरानी याचिका स्वीकार फरमायी जाकर ग्राम पंचायत टोकरवाड़ पं०स हुरड़ा जिला भीलवाडा के नाम से अंकित गैर निगराकार संख्या 1 से लगायत 4 द्वारा कूटरचित फर्जी पट्टा क्रम संख्या 42/90 को खारिज फरमाया जावे।

गैर निगराकार संख्या 05 व 06 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम पंचायत द्वारा विधि तौर पर पटटा जारी किया गया हैं। कोई त्रुटि नही हैं। वर्ष 1990 के पटटे के विरूद्ध लगभग 34 वर्ष पश्चात् निगरानी पेश की हैं, जो मियाद बाहर हैं। देरीना से पेश करने का भी कोई ठोस कारण अंकित नही किया हैं। निगराकार की निगरानी सारहीन होने से खारिज की जावे।

24.10
अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया गया कि निगराकार ने वर्ष 1990 में जारीशुदा पटटे को निरस्त कराने बाबत् लगभग 34 वर्ष बाद निगरानी बिना किसी ठोस कारण के प्रस्तुत की हैं, जो मियाद बाधित ठहरती हैं। कब्जे के संबंध में निगराकार द्वारा कोई प्रमाणिक दस्तावेजात पेश नही किये गये। निगराकार स्वयं ने अपनी निगरानी मेमों में अंकित किया कि "उक्त प्रश्नगत पटटे के संबंध में कोई पत्रावली ग्राम पंचायत में नही हैं एवं न ही कोई रिकार्ड संधारित किया गया हैं।" ऐसे में मिसल पत्रावली अथवा मिसल पत्रावली की सत्यापित प्रति के अभाव में पटटे की वैधता / अवैधता के संबंध में तथा प्रश्नगत पटटे का पंजीयन हो जाने से उक्त पटटे के संबंध में इस न्यायालय द्वारा कोई निर्णय किया जाना न्यायोचित नही ठहरता हैं।

उपरोक्त विवेचन निगराकार की निगरानी आधारहीन एवं तथ्यहीन होने से स्वीकार योग्य नहीं ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत आधारहीन एवं तथ्यहीन होने से अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत जालखेडा तहसील हुरडा को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24.10.25

(रणजीत सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा